न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-139RAAJodhpur2022-86RTA225 Sultanaram Vs Satyanarayan etc

सुल्तानाराम पुत्र श्री भगूराम, जाति विश्नोई, निवासीगण– ग्राम चन्दनपुरा, दयाकौर, हाल निवास– लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट जिला जोधपुर(वर्तमान फलोदी)

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. सत्यनारायण पुत्र जगमालराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम लुम्बाराम नगर, लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान फलोदी)

रेस्पो.....

02. सीता पत्नी सहीराम
03. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम
04. भंवरलाल पुत्र मनोहरलाल
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम केलनसर, हाल निवासी– लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
05. महिराम पुत्र धोकलाराम
06. मोहनराम पुत्र धोकलाराम
07. पूनाराम पुत्र धोकलाराम
08. बरजू पत्नी धोकलाराम
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम मगरा, हाल निवासी– लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)
09. जुगताराम पुत्र मानाराम
10. गोपीलाल पुत्र मानाराम
11. नोजी पत्नी मानाराम
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम डाबलिया, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर(वर्तमान जिला फलोदी)।
12. धनाराम पुत्र जसवंताराम
13. पूनाराम पुत्र रामूराम
14. सोहनलाल पुत्र रणूराम
    जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम मगरा हाल निवासी– लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 जुलाई 2021 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 210/2020 सत्यनारायण बनाम सुल्तानाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री लक्ष्मण विश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच, छः, आठ से ग्यारह
शेष **रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

नि र्ण य

दिनांक : 27 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 210/2020 अनवान सत्यनारायण बनाम सुल्तानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जुलाई 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 19 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 163 रकबा 21.16 बीघा, खसरा नं. 163/3044 रकबा 01.17 बीघा, खसरा नं. 236 रकबा 16.11 बीघा ग्राम लोहावट विशनावास के संबंध धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2021 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थी को अपने आबादी भूखण्ड जो खसरा नं. 164 में स्थित है, उसमें चल रहे निर्माण कार्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को रूकवा दिया है। अपीलार्थी ने ग्राम लोहावट विशनावास के खसरा नं. 164 में पट्टाधारक ओमप्रकाश पुत्र जयदेव से दिनांक 27.06.1994 को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा उक्त भूखण्ड क्रय किया था, तब से आज दिन तक अपीलार्थी अपने खरीद सुदा भूखण्ड पर काबिज है। अपीलार्थी ने अपने उक्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लोहावट विशनावास से दिनांक 19.12.2004 को अनुमति प्राप्त की थी। रेस्पोडेंट संख्या एक वादी जो खसरा नं. 163 का खातेदार है, खसरा नं. 164 आबादी भूमि है। दोनो खसरों के बीच खसरा नं. 164 में अपीलार्थी, प्रर्फोमा रेस्पोडेंट व अन्य पट्टाधारक आदि सम्पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादी ने इस वाद के बाद वर्ष 2019 में अपने खसरा नं. 164 का रकबा 29.12 बीघा कम करने का नया वाद पेश किया है, इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या एक वादी अपनी खातेदारी भूमि का रकबा बढाकर खसरा नं. 164 में कब्जा करना चाहता है जो कानूनन सम्भव नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक वादी वर्तमान में लोहावट विशनावास का सरपंच है, जिसने अपनी खातेदारी का बहाना बनाकर खसरा नं. 163 में अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई है, लेकिन राजस्व विभाग व प्रशासन अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थी के आबादी भूखण्ड जो खसरा नं. 164 में स्थित है, उस पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे है, इस कारण अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपीलार्थी राजकीय सेवा एमईएस में कार्यरत है तथा अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। इस कारण अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। रेस्पोडेंट संख्या एक वर्तमान में लोहावट विशनावास का सरपंच है तथा इससे पूर्व के कार्यकाल में सरपंच पद पर रहते हुए खसरा नं. 164 की आबादी भूमि में स्वयं द्वारा पट्टे जारी किये गये। खसरा नं. 164 पूर्व में सरकारी भूमि थी, जिसमें सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा आबादी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये, लेकिन उक्त आदेश का जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या एक वादी गलत राजस्व रेकर्ड का दुरूपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.07.2021 को पारित किया है, उस वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोरोना काल था तथा अपीलार्थी को आवश्यक सुनवाई की कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी सदभाविक क्रेता एवं पट्टाधारक है, जिसे अपने भूखण्ड पर निर्माण करने का कानूनन अधिकार है। अपीलांट द्वारा दिनांक 12.03.2022 को अपीलार्थी जब छूट्टी पर आया तब उंसने अपने खरीदसुदा भूखण्ड पर निर्माण कार्य करना शुरू किया तो रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलाधीन आदेश का हवाला देकर पुलिस से निर्माण रूकवा दिया, तब अपीलार्थी ने दिनांक 15.03.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 15.03.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 210/2020 अनवान सत्यनारायण बनाम सुलतानाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01.07.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिरवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 164 सिवायचक होकर राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। लोहावट से पीलवा जाने वाली सड़क राजस्व नक्शे में दर्शित मार्ग से भिन्न स्थान रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 163 में चल रही है, जिससे रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि सड़क की दूसरी तरफ भी स्थित है। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने तथा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित होने से विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाये बिना तथा जवाब प्रस्तुत किये बिना अपीलांट अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 163 रकबा 21.16 बीघा रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि को संरक्षित रखने के लिए अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता के कथनानुसार तथा अपील में उल्लेखित मुताबिक उसका आवासीय भूखण्ड खसरा नं. 164 में स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी 2074–77 ग्राम लोहावट बी. बी. तहसील लोहावट के मुताबिक खसरा नं. 164 रकबा 11.9625 हैक्टेयर आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज नहीं होकर बारानी तृतीय किस्म की राजकीय सिवायचक भूमि है तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक को खसरा नं. 164 की राजकीय भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

अपीलांट के कथनों के परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट किया जाता है कि खसरा नं. 164 की भूमि जब तक आबादी के रूप में किस्म परिवर्तित होकर ग्राम पंचायत लोहावट विशनावास के खाते में दर्ज नहीं हो जाती या अन्य किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी रहे, तब तक उभय पक्ष को खसरा नं. 164 के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया जाता है।

यहां यह विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नं. 163 के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नं. 164 के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर